तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

30/6/2020

वकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इस्तगासा [illegible] पत्रावली दिनांक 31/08/20 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

31.08.2020

न्यायालय हाजा के पत्रांक /रीडर/20/570 दिनांक 04.08.2020 के परिपेक्ष्य में ओयोजित बैठक/विचार अनुसार दिनांक 11.8.2020 को बार ऐसोसियन के द्वारा लिए गये प्रस्ताव की पालना में पत्रावली आज पेश हुई।

बहस वकुलाय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई एवं समायत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम धाकडी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2030, खसरा नम्बर 2045 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1989/11, 1989/5, 1990/11, 1990/13, 2038, 2058/11, 2058/5, कुल किता 08 कुल रकबा 4.600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.2100 हैक्टर आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2--1/2 हक हिस्सा संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। उक्त भूमि में आज दिन तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य विधिक बंटवारा नही हो रखा है। अर्थात उक्त कृषि भूमि अविभाजित है। उक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा उपजाउ बनाया है। दिनांक 20.11.2018 को दोहपर में वादस्थ भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल हेतु आये तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीक को काश्त नही करने की ऐलानियां धमकियां देने लगा तथा प्रार्थी के हिस्से के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने हेतु उतारू होने लगा जिसका उसको कोई वैध अधिकार नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 के मध्य राजस्व रेकॉर्ड में कोई विधिक बंटवारा नही होने से धोरा पाली, सीमा एवं काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है। उक्त वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी के 1/2 हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखल अन्दाजी नही करे एवं अन्य व्यक्ति को बिना विधिक विभाजन हुए बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि नही करे इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादस्थ भूमी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा वादस्थ भूमि के अपने हिस्से को उपजाउ बनाया गया है व सिंचाई हेतु कुएं पर एव अन्य व्यय पर लाखो रूपये विनियोजित किये है। अप्रार्थी बिना किसी वैध अधिकार के प्रार्थी की मौके पर कब्जा सुदा भूमि के कब्जे काश्त सिंचाई उपयोग, उपभोग में दखल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

अन्दाजी, बाधा, अडचन बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करने पर आमादा है इस प्रकार प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीयक्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से सरहद मौजा ग्राम धाकडी में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2030, खसरा नम्बर 2045 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 , खसरा नम्बर 1989/11, 1989/5, 1990/11, 1990/13, 2038, 2058/11, 2058/5, कुल किता 08 कुल रकबा 4.600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.2100 हैक्टर की भूमि में प्रार्थी के मौके पर कब्जे काश्त की 1/2 हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को दखन अन्दाजी न करने, सिंचाई हेतु पानी लाने ले जाने में व्यवधान उत्पन्न न करने, अन्य को बैचान हस्तान्तरण करने एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि में मौके पर बंटवाडा हो चुका है मौके पर दोनो का अलग– अलग हिस्से पर काश्त कर रहे है। वादस्थ भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की न होकर अलग अलग हिस्से पर काश्त कर रहे है। मौके पर अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल खुदा रखी है व अलग विद्युत संबंध ले रखा है व ट्यूबवेल का उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी ने अपने निजी रकम से कुंआ खुदवाया है । प्रार्थी ने न तो कभी कुंआ खुदवाया है एवं न ही कभी कुये का उपयोग उपभोग किया है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि में अप्रार्थी द्वारा जो कुंआ खुदवाया गया है उसमें प्रार्थी कोई दखन अन्दाजी नही करे व अप्रार्थी के हक हिस्से के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न ही करे इस हेतु काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के जारी किए जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.12.2019 से लगातार काउण्टर प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पेश नही किये जाने से काउण्टर पार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर जबाब बन्द किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वादस्थ भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य राजस्व रेकॉर्ड में वैध विधिक बंटवाडा नही हो रखा है। वादस्थ भूमि अविभाजित है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ भूमि में 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित है एवं रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से में दखन अन्दाजी, व सिंचाई हेतु पानी लाने व ले जाने मे बाधा कारित कर रहा है एवं अविभाजित भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिससे तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि वादस्थ भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की नही है मौके पर दोनो पक्षो के मध्य बंटवाडा हो रखा है। वादस्थ भूमि में खुदवाया गया कुंआ भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निजी रकम से खुदवाया गया है। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की मौके पर कब्जे काश्त की भूमि में दखल अन्दाजी करने से व कुऐं के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से जरिये काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने हेतु ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
मोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना मय काउण्टर प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया, बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः हस्ब प्रार्थना में वादस्थ भूमि राजस्व रेकॉर्डअनुसार अविभाजित है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी का 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित है। मूल दावा बंटवाडा से संबंधित है, जिसमें प्रस्तुत वाद, जबाब दावा साक्ष्य सबूत शपथ पत्र दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचन/विश्लेषण पश्चत उभय पक्षो के हक अधिकारों का भी निविश्च किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि अविभाजित है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी मोके पर 1/2–1/2 हक किस्से पर काबिज है। जिससे उभय पक्षो को वाद निर्णय तक एक दुसरे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से रोकने एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है व अस्थाई निषेघाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आश्य की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम धाकडी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2030, खसरा नम्बर 2045 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 , खसरा नम्बर 1989/11, 1989/5, 1990/11, 1990/13, 2038, 2058/11, 2058/5, कुल किता 08 कुल रकबा 4.600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म बंजड, चा0प्र0 जाव अव्वल की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को एक दुसरे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पालना मूल वाद के साथ नत्थी है।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner